

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर मोटे और बड़े अक्षरों में पोषण संबंधी जानकारी दर्शाना अनिवार्य कर दिया है।
- भारत सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता देने का आदेश दिया है।
- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा श्री विजयपुरम में तिरंगा फहराए जाने की स्मृति में छोलदारी के विवेकानन्द मैदान में तीस दिसम्बर से आज़ाद हिन्द मेला का आयोजन किया जाएगा।
- अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण अंडमान विधि कॉलेज के सहयोग से कल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल पैंतालीस व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है।



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण—एफ.एस.एस.ए.आई ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर मोटे और बड़े अक्षरों में अतिरिक्त चीनी, नमक और वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी दर्शाना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बी एल वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझाने और पोषण तत्वों को लेकर सही चुनाव करने के लिए, इस वर्ष उन्नीस जून को अनिवार्य दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई थी। श्री वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में एफ एस एस ए आई ने खाद्य सुरक्षा और मानक शिशु पोषण के लिए खाद्य के नियमों को अधिसूचित किया है, जो शिशु आहार की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करता है और खाद्य व्यवसाय संचालकों को शिशु पोषण के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को स्पष्ट करना अनिवार्य करता है। उन्होंने कहा कि एफ एस एस ए आई और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शिशु खाद्य उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूने की जांच करते हैं। श्री वर्मा ने बताया कि खाद्य व्यापार संचालकों को इन विनियमों के तहत लेबलिंग आवश्यकताओं और मानकों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।



भारत सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता देने का आदेश दिया है और इसका उद्देश्य मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के मानकों को बनाए रखना है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले और मृदा विश्लेषण के साथ कृषि और पर्यावरण प्रबंधन का समर्थन किया जा सके। गोलघर स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ने कृषि निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाता द्वारा आयोजित प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें पिछले एक वर्ष में शामिल किए गए परीक्षण मापदंडों को मान्यता के लिए विचार किया गया और एन ए बी एल से आठ मापदंडों के लिए मान्यता प्राप्त की है। वर्ष दो हजार चौबीस-पच्चीस के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आई एन एम प्रभाग ने सभी अंचलों के विभिन्न गांवों में मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए दस हजार का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों को किसानों के खेत में एस एच सी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए कहा गया है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए अपनी मिट्टी को एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए क्षेत्रीय कृषि कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है।



द्वीप पर्यटन उत्सव मनाए जाने के एक भाग के रूप में कृषि विभाग द्वारा उनतीस दिसम्बर को प्रदर्शनी मैदान में पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में ताजे फूलों और सूखे फूलों की सजावट, गुलदस्ता, माला और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इच्छुक प्रतिभागी आवेदन फार्म हैडो स्थित कृषि निदेशालय और अंचल कृषि कार्यालय, गोलघर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस दिसम्बर है।



नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा श्री विजयपुरम में तिरंगा फहराए जाने की स्मृति में छोलदारी के विवेकानन्द मैदान में तीस दिसम्बर से आज़ाद हिन्द मेला का आयोजन किया जाएगा। पांच जनवरी तक चलने वाले इस मेले के दौरान स्टॉल लगाने के इच्छुक लोगों से मेला समिति से या पंचायत समिति सदस्य चैताली रॉय से संपर्क करने को कहा गया है।



अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा दो हजार चौबीस-पच्चीस के लिए सामान्य पूल के तहत सरकारी आवासों के लिए नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके आधार पर वरिष्ठता सूची पर खाली सरकारी आवासों को आगा पोर्टल के माध्यम से आवंटित किया गया था। जिन सरकारी कर्मचारियों को बाहरी स्थानों से स्थानांतरित किया गया है या जो नए नियुक्ति पर हैं, उनकी श्रेणीवार वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है, जिसे आगा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदक अपनी वरिष्ठता से संबंधित दावे और आपत्तियां आवास एवं सम्पदा अनुभाग के सहायक सचिव, सचिवालय में जमा कर सकते हैं।



अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण अंडमान विधि कॉलेज के सहयोग से कल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। नशीली दवाओं और नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम दिन में डेढ़ बजे से आरंभ होगा। कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और न्यायमूर्ति उदय कुमार शामिल होंगे।



टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्व प्राचार्य और जे एन आर एम के संस्थापक सदस्य डॉ. ओ पी मल्होत्रा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। इनका आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे छियासी वर्ष के थे।



डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र दो हजार चौबीस-पच्चीस में विभिन्न विभागों में अतिथि प्रवक्ताओं और अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सोलह और सत्रह दिसम्बर को डेमो, थ्योरी और प्रायोगिक के साथ सीधा साक्षात्कार लिया जाएगा। डेमो विषयों के लिए विवरण संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार संस्थान के अकादमिक प्रकोष्ठ से सभी कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक संपर्क कर सकते हैं।



दक्षिण अंडमान ज़िले में मनरेगा के तहत ग्यारह महीने के लिए अनुबंध के आधार पर सहायक अभियंता के एक पद और ग्राम रोज़गार सेवक के चार पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार की आयु चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार तीस दिसम्बर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त कार्यालय के मनरेगा अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।



विद्युत विभाग द्वारा भूमिगत केबल में रखरखाव का कार्य किए जाने के चलते कल श्री विजयपुरम के कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में डेरीफार्म, पुलिस लाइन, आर जी टी रोड, शादीपुर, जंगलीघाट के कुछ क्षेत्र, लंबा लाइन, स्कूल लाइन, मिनी बे, मिडिल प्वाइंट, बंगाली क्लब, बिग्गी लाइन, वी आई पी रोड, नया गांव, कार्बाइंस कोव आदि क्षेत्र शामिल हैं। कटौती सुबह दस बजे से दोपहर बाद दो बजे तक रहेगी।

